न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 07/2017 श्री वीरम **बनाम** राज्य सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15–05–2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में जिला कलक्टर राजसमन्द के आवंटन आदेश दिनांक 19–6–2017 के विरूद्ध इस आधार पर पेश की गई है कि आवंटी संस्था, ग्राम सेवा सहकारी समिति को अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–6–2017 से आराजी नंबर 1881 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा ग्राम शेखावास में से 18 बिस्वा भूमि बीज गोदाम व कार्यालय हेतु आवंटित की गई है, जबकि उक्त आराजी में अपीलान्ट के मकान व भू–खण्ड स्थित है। यह आराजी गांव की आबादी से दूर है। आवंटन आदेश से पूर्व अपीलान्ट को सुना नहीं गया तथा उसके परिवाद पर दिनांक 3–4–2017 को जिला कलक्टर ने अविवादित भूमि ही आंवटित किये जाने का निर्णय किया था। अपीलाधीन आदेश के उद्धेश्य के लिए 1500 वर्ग मीटर के स्थान पर 1568 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है। हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि यह स्वीकृत स्थिति है कि उक्त भूमि आराजी संख्या 1881 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा राजकीय भूमि है तथा अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा खसरा परिवर्तनशील 2007–08, 2009–10, 2010–11 व 2012–13 में उक्त आराजी में रकबा 2 बीघा पर अपीलान्ट का सन् 2012–13 तक अतिक्रमण रहा है। अतिक्रमी का राजकीय भूमि का राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के बरूए कोई लोकस–स्टेण्डाई नहीं होता, जब तक की वह यह प्रमाणित नहीं कर दे कि उक्त भूमि नियमन पात्रता रखता है। इस प्रकरण में अपीलान्ट की नियमन पात्रता स्पष्ट नहीं है। जिला कलक्टर द्वारा आवेदन पर अविवादित भूमि आवंटित किये जाने के बाद अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बने पर्चा मौका, पटवारी की रिपोर्ट इत्यादि में कहीं भी अपीलान्ट का कब्जा होने के तथ्य उपलब्ध नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उसका अतिक्रमण	

आवंटित 18 बिस्वा वाले स्थान पर ही हो। अधिक आवंटित 68 वर्ग मीटर भूमि नगण्य है तथा यह उजर उठाने को अपीलान्ट अधिकृत भी नहीं है। इस प्रकरण में हम अपीलान्ट को आवश्यक हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं पाते। अतएव दफा–96 जाब्ता दीवानी का अपीलान्ट का आवेदन खारिज करते हुए उपरोक्त विवेचनानुसार गुणावगुण आधार पर भी अपील पोषणीय नहीं पाते है।

उपरोकतानुसार दफा–96 जाब्ता दीवानी का आवेदन खारिज होने तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19–6–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15–05–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपु स्कूल के सामने तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0) अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत .... सहायक कलक्टर मु0...... .... उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........27.............. माह ....02........... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 15..... माह ......06.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........15..... माह ...06........ 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा....... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गांगा पिता देवा डांगी
निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य –2

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल
निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य–6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत ....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ......उदयपुर .... मुकाम मुर्ख्खे...........08.............. माह ....07........... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 25..... माह ......05.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि .... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........14..... माह ...06....... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील .... 6. स्टाम्प वकालत नामा....... 7. इजराय हुक्मनामा .... 8. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।